कार्यालय नगर पालिका परिषद सीहोर जिला–सीहोर (म.प्र.)

कुआ सफाई कार्य अंतर्गत नियम शर्तेः:–

1- निविदाकार का जी.एस.टी. नंबर, पेन नंबर होना अनिवार्य है।
2- उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन/उपकरण टूट-फूट की जवबदारी निविदाकार की होगी।
3- सशर्त निविदा मान्य नही की जावेगी। निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति करने का अधिकार सक्षम अधिकारी का होगा।
4- निविदाकार कार्य स्थल एवं कुएं की स्थिति का निरीक्षण स्वयं करेगा। बाद में किसी अतिरिक्त भुगतान की मांग मान्य नहीं होगी।
5- कार्य हेतु आवश्यक श्रमिक, ऑपरेटर, हेल्पर एवं सुपरवाइजर की व्यवस्था ठेकेदार स्वयं अपने व्यय पर करेगा।
6- ठेकेदार द्वारा निम्न उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे:- मड पम्प, सक्शन/डिलीवरी पाइप, ट्रैक्टर-ट्रॉली, रस्सी, सुरक्षा उपकरण, आवश्यकता अनुसार प्रकाश व्यवस्था। सभी मशीनें कार्यशील स्थिति में होना आवश्यक है।
7- कार्य के दौरान श्रमिकों एवं आमजन की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। निम्न सुरक्षा सामग्री अनिवार्य होगी: सेफ्टी बेल्ट/रस्सी, हेलमेट, दस्ताने, गमबूट, कुएं के आसपास बैरिकेडिंग।
8- गहरे कुओं में कार्य प्रारंभ करने से पूर्व पर्याप्त वेंटिलेशन एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
9- निकाली गई गाद, मिट्टी एवं कचरे का परिवहन कर नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्थान पर निस्तारण करना होगा। सड़क, नाली अथवा निजी भूमि पर मलबा डालना प्रतिबंधित रहेगा।
10- कार्य आदेश में निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा। अनावश्यक विलंब होने पर नियमानुसार दण्डात्मक/पेनल्टी की कार्यवाही की जाएगी।
11- कार्य के दौरान किसी सार्वजनिक/निजी संपत्ति को क्षति होने पर उसकी भरपाई ठेकेदार द्वारा की जाएगी।
12- कुएं की पूर्ण सफाई होने के पश्चात प्रभारी यंत्री/मुख्य नगर पालिका अधिकारी के सत्यापन के उपरांत ही कार्य पूर्ण माना जाएगा।
13- भुगतान कार्य पूर्ण होने एवं माप पुस्तिका में प्रविष्टि उपरांत नियमानुसार किया जाएगा।
14- समस्त कर, रॉयल्टी एवं अन्य देय राशि ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।
15- कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर विभाग बिना सूचना अनुबंध समाप्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।
16- कार्य से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में अभियंता प्रभारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
17- श्रमिकों का भुगतान स्वीकृत दैनिक दर के अनुसार किया जाएगा तथा उपस्थिति का सत्यापन अभियंता प्रभारी/नामित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
18- मड पम्प का भुगतान वास्तविक संचालन अवधि के आधार पर प्रति घंटा दर से किया जाएगा। संचालन अवधि का सत्यापन लॉगबुक/रजिस्टर से किया जाएगा।
19- ट्रैक्टर-ट्रॉली का भुगतान प्रति ट्रिप दर से किया जाएगा, जिसमें चालक, डीजल, लोडिंग, परिवहन एवं मलबा निस्तारण सहित समस्त व्यय शामिल रहेंगे। अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
20- प्रत्येक कुएं हेतु कार्य प्रारंभ पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने उपरांत जियो-टैग्ड दिनांकित फोटोग्राफ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
21- कार्य संतोषजनक पाए जाने एवं आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किए जाने के उपरांत अंतिम भुगतान किया जाएगा।
22- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सीहोर रहेगा।

उप यंत्री नगरपालिका परिषद् सीहोर	सहायक यंत्री नगर पालिका परिषद् सीहोर	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् सीहोर

Signature Not Verified
Digitally signed by VAIBHAV LOVANIYA
Date: 2026.05.19 14:20:58 IST
Location: Madhya Pradesh-